राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/19/32943 जयपुर,दिनांकः24/09/19

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 में भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के मानदण्ड निर्धारित किये हुए है। जिन भवनो में बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है या जो भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया है तथा भवन विनियमो के अनुरूप निर्माण नहीं होने की स्थिति में ऐसे भवन या उनके भाग को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (7)(एफ) के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सीज करने के अधिकार प्रदत्त है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील के माध्यम से अपील प्राधिकारी के समक्ष आदेश को चुनौती दी जा सकती है। धारा 194 (7)(एफ) में यह प्रावधित किया गया है कि किसी भी भवन/परिसर को या उसके किसी भाग को अभिग्रहित (Seize) किया जा सकता है।

सीज खोले जाने के संबंध में विभागीय परिपत्र कमांक प.8(ग)(40) नियम/डीएलबी/14/4908–5101 दिनांक 25.08.14 एवं पत्र कमांक प.8(ग) (40)नियम/डीएलबी/14/12548 दिनांक 01.10.2015 के बिन्दु संख्या 9 एवं 13 में सीज किये भवनो को सीज मुक्त किये जाने के संबंध में गठित कमेटी द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के स्तर पर सीज शुदा परिसर को सीज मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है। उक्त दोनो परिपत्र दिनांक 25.08.14 एवं 01.10.15 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

धारा 194(7)(एफ) के अन्तर्गत जारी आदेश को भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष धारा 194 (12) में चुनौती दी जा सकती है।

अतः विभागीय परिपत्र दिनांक 01.10.15 के बिन्दु संख्या 9 एवं 13 के प्रावधानो को अतिकमित करते हुए विभागीय आदेश कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/28670 दिनांक 04.06.2019 की निरन्तरता में सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भवन/परिसर को सीज करने के पश्चात् नगरीय निकायो के स्तर पर सीज नहीं खोली जावे। यदि किसी भवन/परिसर को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा सीज कर दिया जाता

Scanned by CamScanner

है, तब उक्त धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील के माध्यम से ही अपील अधिकारी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। माननीय न्यायालय अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा किसी भवन/परिसर को सीज खोलने के निर्णय के अलावा नगरीय निकाय स्तर पर सीज खोलने का निर्णय नहीं लिया जावें।

यदि किसी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को किसी भी भवन/परिसर में लगाई गई सील को खुलवाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझा जावे तो वह कारणो का उल्लेख करते हुए निदेशालय के निदेशक के समक्ष सम्पूर्ण विवरण के सहित स्पष्ट अभिशंषा के साथ प्रस्ताव भिजवावें, ताकि उक्तानुसार प्राप्त अभिशंषा पर निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् सील खोलने बाबत् आदेश जारी किया जावेगा।

(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/19/32954-33341 दिनांकः 24/08/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
06. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
07. समस्त आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by CamScanner